न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –46/2016 जिला दौसा

1. घमण्डी पुत्र श्री मूल्या, जाति गुर्जर, निवासी ग्रम दवाकर, तहसील सिकाय, जिला दौसा ।
2. कल्याण पुत्र श्री कल्याण
3. रमेश पुत्र श्री देवनारायण
4. धन्ना लाल पुत्र श्री बदरी
5. रघुवीर पुत्र श्री बदरी
6 रामनिवास पुत्र श्री बदरी
7. हजारी पुत्र श्री बदरी
8. चान्द सिंह पुत्र श्री बदरी
9. सीताराम पुत्र श्री धन्ना लाल
10. हरदयाल पुत्र श्र धन्ना लाल
11. रघुनाथ पुत्र श्री ओंकार
12. बालासहाय पुत्र श्री ओंकार
13. रामेश्वर पुत्र श्री ओंकार
14. चन्दभान पुत्र श्री हीरा लाल
15. रामसिंह पुत्र श्री रामवतार
16. बाबू लाल पुत्र श्री रामकंवार
17. मु. हरकेश बेवा रामखिलाडी
18. सचिन पुत्र रामखिलाडी जरिये संरक्षिका माता हरेश जातियान गुर्जर निवासीयान ग्रम दवाकर तहसील सिकराय जिला दौसा ।
19. मानसिंह पुत्र रामखिलाडी नाबालिक संरक्षिका माता हरेश
20. रामखिलाडी पुत्र सोनपाल
21. सुरजमल पुत्र सोनपाल
22. गोपाल पुत्र सोनपाल
23. मलखान पुत्र श्री सोनपाल
24. [illegible]न सिंह पुत्र रामपाल
25. प्रहलाद पुत्र मन्ना
26. आनन्दी लाल पुत्र धन्ना
27. गुठ्ठल पुत्र धन्ना
28. नाथू लाल पुत्र धन्ना, जातियान गुर्जर निवासीयान ग्रम दिवाकर तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजाराम पुत्र नाथू
2. हंसराज पुत्र नाथू
3. श्रीराम पुत्र लोहडीराम
4. अंगद पुत्र लोहडीराम , जातियान गुर्जर, निवासीयान दिवाकर तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा ।

दिनां
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. नायब तहसीलदार बहरावण्डा, जिला दौसा ।
7. गिरदावर हल्का बहरावण्डा, जिला दौसा
8. गिरदावर हल्का टोरडा, तहसील सिकराय ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप जिला कलक्टर सिकराय दिनांक 13.5.2015 के इस आदेश की अनुपालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री मुकेश शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री विष्णु कुमार पारीक

निर्णय

दिनांक– 10.7.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 13.5.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम दंवाकर , तहसील सिकराय, जिला दौसा स्थिति आराजी खसरा नम्बर 65 की सम्पूर्ण भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र श्रीराम, अंगद पि. लोहडीराम, राजाराम, हंसराम पि. नाथू लाल गुर्जर निवासी दंवाकर द्वारा दिनांक 13.5.2015 को उप जिला कलक्टर सिकराय को प्रेषित किया जिस पर उप जिला कलक्टर सिकराय ने दिनांक 13.5.2015 को आदेश अंकित किया कि'' तहसीलदार निर्धारित फीस जमा करवाकर सीमाज्ञान करावें '' । उप खण्ड अधिकारी के उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार (भू.अ.) सिकराय ने पत्र क्रमांकः भू.अ./2015/2252 दिनांक 10.6.2015 से मूल प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया एवं कार्यालय आदेश क्रमांकः भू.अ./015/2515 दिनांक 30.6.2015 से पुनः दिनांक 5.7.2015 को सीमाज्ञान करने हेतु टीम का गठन किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 5.7.2015 को विवादित भूमि पर सीमाज्ञान हेतु पहुॅची टीम ने मौके पर खूनी संघर्ष को टालने एवं शांति व्यवस्था को ध्यान में रखने हेतु अग्रिम आदेश तक सीमाज्ञान कराने की कार्यवाही को स्थगित किया गया एवं समझाईश की गई कि डन्डे के बल पर एक राय होकर विरोध करने के बजाय सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जावे ताकि प्रशासन का समय खराब न हो और आप भी शांति से रहे ।

उप खण्ड अधिकारी सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 13.5.2015 व उक्त आदेश दिनांक 13.5.2015 की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.2015 के खिलाफ अपीलान्ट घमण्डी वगैहरा द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं उप जिला कलक्टर सिकराय के आदेश दिनांक 13.5.15 व उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.2015 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा किस्म बंजड दोयम बरवक्त भूमि एकीकरण सम्वत 2017 में भवानी

सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी दवाकर के नाम अंकित थी, जो कृषि योग्य नहीं थी । उक्त भूमि को अपीलान्ट्स के बुजुर्गान ने मवेशियों को चराने के लिये बिल एवज 610 रूपये में दिनांक 16.8.66 को क्रय की थी । भूमि मवेशियों के चराने के काम आती है जिसे रेस्पोंडेन्ट्स ने बिना किसी अधिकार के नामांतरकरण में गलत इन्द्राज करा लिया । अपीलान्ट्स ने उक्त नामांतरकरण को चुनौती दे रखी है एवं भूमि बाबत अपीलान्ट का एक दावा उनवानी घमण्डी बनाम प्रहलाद सिंह न्यायालय सिविल न्यायाधीश सिकराय जिला दौसा में विचाराधीन है । रेस्पोंडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान व पत्थरगढी पर उप जिला कलक्टर सिकराय ने विपक्षी पक्षकारों को सूचना दिये बिना एकतरफा में आदेश पारित किया है । उनका कहना था कि विपक्षीगण को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक सिद्धान्तो के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । भूमि के अधिकारों बाबत सिविल न्यायालय में रैगुलर दावा विचाराधीन था एवं विवादित भूमि के बाबत इकरारनामा की घोषणा का वाद सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था । अति. न्यायाधीश बांदीकुई के समक्ष स्थगन हेतु व एक अपील नामांतरकरण के खिलाफ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष विचाराधीन है । पक्षकारों के मध्य दावे व अपीलों के विचाराधीन रहते विवादित भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने का कोई औचित्य नहीं था । उनका कहना था कि मौके पर फसल उगी हुई है, तो सीमाज्ञान कराया जाना विधिक नहीं है । विवादित भूमि अपीलान्ट्स के बुजुर्गान द्वारा जरिये इकरारनामा क्रय की थी और क्रय के पश्चात् भूमि पर आज भी अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं बिना कब्जे काश्त की जॉच किये रेस्पोंडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं, जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सिकराय दिनांक 13.5.15 एवं इसकी पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.15 निरस्त किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम दंवाकर रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी की भूमि है जिसका सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र उप खण्ड अधिकारी सिकराय को प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.5.15 को आदेश पारित कर तहसीलदार को निर्धारित फीस जमा करवाकर सीमाज्ञान कराने के निर्देश दिये थे एवं उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार सिकराय ने आदेश दिनांक 30.6.15 द्वारा विवादित भूमि का सीमाज्ञान कराने हेतु टीम का गठन किया था । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स का दावा बाबत विशिष्ठ अनुबन्ध एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायाधीश सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 17.1.2018 द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया है एवं अपीलान्ट्स की अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.10.14 अदालत श्री सुनील कुमार गोयल, आर.जे.एस. सिविल न्यायाधीश , सिकराय, जिला दौसा , दीवानी विविध प्रकरण संख्या 5/2014 घमण्डी वगैहरा बनाम प्रहलाद वगैहरा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा, निर्णय दिनांक 4.11.2016 द्वारा अस्वीकार कर खारिज की गई है । उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में रेस्पोंडेन्ट्स की भूमि का सीमाज्ञान हेतु अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं इसकी पालना में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.15 उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखे जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का विवाद है । ग्रम दंवाकर , तहसील सिकराय, जिला स्थिति आराजी खसरा नम्बर 65 की सम्पूर्ण भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र श्रीराम, अंगद पि. लोहडीराम, राजाराम, हंसराम पि. नाथू लाल गुर्जर निवासी दंवाकर द्वारा दिनांक 13.5.2015 को उप जिला कलक्टर सिकराय को प्रेषित किया जिस पर उप जिला कलक्टर सिकराय ने दिनांक 13.5.2015 को आदेश अंकित किया कि ''तहसीलदार निर्धारित फीस जमा करवाकर सीमाज्ञान करावें '' । उप खण्ड अधिकारी के उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार (भू.अ.) सिकराय ने पत्र कमांकः भू.अ./2015/2252 दिनांक 10.6.2015 से मूल प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया एवं कार्यालय आदेश कमांकः भू.अ./015/2515 दिनांक 30.6.2015 से पुनः दिनांक 5.7.2015 को सीमाज्ञान करने हेतु टीम का गठन किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 5.7.2015 को विवादित भूमि के सीमाज्ञान हेतु पहुँची टीम ने मौके पर खूनी संघर्ष को टालने एवं शांति व्यवस्था को ध्यान में रखने हेतु अग्रिम आदेश तक सीमाज्ञान कराने की कार्यवाही को स्थगित किया एवं समझाईश की गई कि डन्डे के बल पर एक राय होकर विरोध करने के बजाय सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जावे ताकि प्रशासन का समय खराब न हो और आप भी शांति से रहे । अपीलान्ट्स का दावा बाबत विशिष्ठ अनुबन्ध एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायाधीश सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 17.1.2018 द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया है एवं आदेश दिनांक 31.10.14 अदालत श्री सुनील कुमार गोयल, आर.जे.एस. सिविल न्यायाधीश , सिकराय, जिला दौसा , दीवानी विविध प्रकरण संख्या 5/2014 घमण्डी वगैहरा बनाम प्रहलाद वगैहरा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा, के विरूद्ध अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बांदीकुई के निर्णय दिनांक 4.11.2016 द्वारा अस्वीकार कर खारिज की गई है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि ग्रम दंवाकर, तहसील सिकराय, जिला दौसा की जमाबन्दी संवत 2068–71 में अंकित अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा के खातेदार प्रहालाद सिंह , कालू सिंह पि. भवानी सिंह, जाति राजपूत के स्थान पर नामांतरकरण संख्या 288 दिनांक 6.1.2014 विकय पत्र से प्रहलाद सिंह, कालू सिह पि. भवानी सिंह राजपूत की बजाय रेस्पोंडेन्ट श्रीराम, अंगद पि. लोहडीराम एवं राजाराम, हंसराज पि. नाथूराम जाति गूर्जर के नाम स्वीकृत हुआ है । इस प्रकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित है जिनके द्वारा विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी कराने बाबत उप खण्ड अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उप खण्ड अधिकारी ने आदेश दिनांक 13.5. 2015 अंकित किया कि ''तहसीलदार निर्धारित फीस जमा कराकर सीमाज्ञान करावें ''। उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार सिकराय ने आदेश दिनांक 30.6.2015 द्वारा सीमाज्ञान कराकर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु टीम का गठन किया गया । अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति है कि उक्त भूमि को अपीलान्ट्स के बुजुर्गान ने मवेशियों को चराने के लिये बिल एवज 610 रूपये में दिनांक 16.8.66 को जरिये इकरारनामा कय की थी । भूमि मवेशियों के चराने के काम आती है एवं भूमि बाबत अपीलान्ट का एक दावा उनवानी घमण्डी बनाम प्रहलाद सिंह न्यायालय सिविल न्यायाधीश सिकराय जिला दौसा में विचाराधीन है इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जावे । अपीलान्ट्स का दावा बाबत विशिष्ठ अनुबन्ध एवं स्थायी निषेधाज्ञा

न्यायालय सिविल न्यायाधीश सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 17.1.2018 द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया है एवं आदेश दिनांक 31.10.14 अदालत श्री सुनील कुमार गोयल, आर.जे.एस. सिविल न्यायाधीश , सिकराय, जिला दौसा , दीवानी विविध प्रकरण संख्या 5/2014 घमण्डी वगैहरा बनाम प्रहलाद वगैहरा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा, के विरूद्ध अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बांदीकुई के निर्णय दिनांक 4.11.2016 द्वारा अस्वीकार कर खारिज की गई है । हम समझते हैं कि अपीलान्ट का वाद बाबत विशिष्ठ अनुबन्ध एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायाधीश, सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 17.1.2018 द्वारा खारिज किया गया है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 31.10.14 के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अपर जिला न्यायाधीश, बांदीकुई, जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 4.11.2016 द्वारा खारिज की है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 का नाम विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में अभिलिखित है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.5.2015 एवं इस आदेश की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.2015 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 10.7.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर